



2026:AHC:126463

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 18972 / 2026

राजेश कुमार राजपूत

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विरोधी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : नरेंद्र कुमार सिंह

विरोधी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
- वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 42/2026 अंतर्गत धारा 115(2), 85, 80(2) बी.एन.एस., 2023 और धारा 3/4 डी.पी. अधिनियम, पुलिस स्टेशन जहांगंज, जिला फर्रुखाबाद में जमानत की मांग करते हुए प्रस्तुत की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक मृतक का ससुर है; आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है; अभियुक्त के विरुद्ध सामान्य आरोप लगाए गए हैं; आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी कहा गया कि मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, सह-अभियुक्त श्रीमती माहेश्वरी को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 19019/2026 में पारित आदेश दिनांक 02.06.2026 के माध्यम से जमानत पर रिहा कर दिया गया है। तदनुसार, आवेदक भी जमानत

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का पात्र है। यह भी प्रस्तुत किया कि ऐसी कोई आशंका नहीं है कि जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक विधि से भाग जाएगा या जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा और आवेदक 18.04.2026 से जेल/कारागार में है और निकट भविष्य में विचारण के निष्कर्ष की संभावना बहुत कम है।

4. यद्यपि, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन वह अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए उपरोक्त तर्क का खंडन नहीं सके, कि सह-अभियुक्त को पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अभिलेख का अध्ययन करते हुए, आरोपों की प्रकृति और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए, और यह ध्यान में रखते हुए कि सह-अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, और मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ।

6. उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त आवेदक- **राजेश कुमार राजपूत** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर विधि के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(ii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण बताए बिना अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय धारा 229-क भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और आवेदक की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआर.पी.सी. के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय अंतर्गत धारा 174-क भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विधि के अनुसार आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहेगा (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप विरचित और (iii) धारा 313 सीआर.पी.सी. अंतर्गत बयान दर्ज। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

7. उपरोक्त शर्तों का कोई भी उल्लंघन जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा और विद्वान विचारण न्यायालय जमानत रद्द करने के संबंध में उचित आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगी।

8. जमानत आवेदन अंततः **निस्तारित** की जाती है।

जून 8, 2026

प्रवेश मिश्रा

(न्यायमूर्ति श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।